अपील सूचना अधिकार संख्या 63/2021 (GCMS 2021/95) (RTI 212958207304320) अनिल लिम्बा, मकान नं. बी–98, गली नं. 04, वार्ड नं. 05, शक्ति नगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर (राजस्थान) 335001 (मो.नं. 94145–01557) बनाम तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

16.11.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री अनिल लिम्बा उपस्थित नहीं हुआ। मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 05.06.2021 से तहसीलदार, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04.07.2021 को ऑन लाईन पेश की है।

Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.06.2021 के द्वारा निम्न सूचना चाही थी:

> जिला एवं तहसील श्रीगंगानगर के अन्तर्गत 3एचएच गांव में आवासीय कॉलोनी नीलकंठ महादेव डेवलपर में मैने प्लाट लिया हुआ है जिसकी रजिस्ट्री (Registration No.: 201803406101506 रसीद नं. 201802406001632 दिनांक 04.09.2018 201801406002188 Sale Deed, E-grass Challan 0025022224) चूनावढ सब तहसील में सितम्बर 2018 में करवाई गई।
>
> 1. उपरोक्त प्लाट की रजिस्ट्री दिनांक 04.09.2018 को मेरे नाम होने के लगभग 1005 दिन बाद भी विभाग की बेब साईट http://epanijiyan.[illegible] ऑनलाईन देखेन पर प्लाट मेरे नाम न दिखा [illegible]ठ महादेव डेवलपर के नाम से ही किस[illegible] (संलग्न 1 "View e-inspection/Search by multiple parameters View parame[illegible] संलग्न 2 "Track CRN/Document st[illegible] Track status")

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2. उपरोक्तानुसार जिला एवं तहसील श्रीगंगानगर के अन्तर्गत ग्राम 3 एचएच में निवासिय कॉलोनी नीलकंठ महादेव डेवलेपर्स में मेरे रजिस्ट्रीशुदा प्लाट (प्लाट नम्बर 685) जिसकी रजिस्ट्री 04.09.2018 (Registration No.: 201803406101506 रसीद नं. 201802406001632 दिनांक 04.09.2018 201801406002188 Sale Deed, E-grass Challan 0025022224) को सब तहसील चूनावढ कार्यालय से करवाई गई की प्रमाणित प्रतिलिपि पूर्ण प्रमाणित श्रृंखला में प्रमाणित अन्य सभी तरह के सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ उपलब्ध करवाएं।

3. चूनावढ़ सब तहसील में दिनांक 04 सितम्बर 2018 को करवाई गई उपरोक्तानुसार रजिस्ट्री को विभाग की कौनसी बेवसाईट पर ऑनलाईन देखा जा सकता एवं रजिस्ट्री की प्रतिलिपि डाउनलोड की जा सकती है कृपया प्रमाणित वेब लिंक उपलब्ध करवाएं।

4. ग्रामीण आवासीय कॉलोनी के प्लाट की रजिस्ट्री करते समय विभाग द्वारा के दायित्व कर्तव्यों की क्रमानुसार नियमावली हिन्दी में उपलब्ध करवाएं।

तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर के पत्रांक सू.अ./2020/1921 दिनांक 10.08.2021 के साथ उप पंजीयक, चूनावढ का पत्रांक 208 दिनांक 04.08.2021 प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार उप पंजीयक चूनावढ ने अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा अपीलार्थी अनिल लिम्बा के अपील पत्र के सम्बन्ध में टिप्पीण मय कार्यालय से सम्बन्धित रिकॉर्ड तारीख पेशी 10.08.2021 से पूर्व आवश्यक रूप से भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है।
>
> उक्त [illegible] है कि आप द्वारा जरिये पत्रांक रीडर/2[illegible]/577 दि[illegible] 07.[illegible]21 के द्वारा सूचना का अधिकार अधि[illegible] 2005 के [illegible]त ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 05.06.21 द्वारा श्री अनिल [illegible]म्बा पुत्र ताराचंन्द वार्ड नं. 05

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

शक्ति नगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर इस कार्यालय को प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये गये थे कि प्रार्थी द्वारा ग्राम 3 एचएच में आवासीय कालोनी नीलकंठ महादेव डेवलेपर में आवासीय प्लाट सं. 685 के संबंध में सूचना चाही गई है। अतः प्रार्थी को सूचना निर्धारित अवधि में उपलब्ध करवाते हुए इस कार्यायल को भी सूचित करावें।

श्रीमान्जी के उक्त पत्र की पालना में आवेदक द्वारा चाही गई वांछित सूचना का प्रतिउत्तर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 160 दिनांक 28.06.2021 के द्वारा निम्न सूचना पूर्व में ही आवेदक को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक से प्रेषित की जा चुकी है, जिसकी प्रतिलिपि आपको भी भिजवाई गई थीं आवदेक को निम्न सूचना उपलब्ध करवाई गई :

क्र.सं	आवेदक द्वारा सूचना के अिकार के तहत चाही गई सूचना का विवरण	आवेदक द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में प्रति उत्तर
1	उपरोक्त प्लाट की रजिस्ट्री दिनांक 04.09.2018 को मेरे नाम होने के लगभग 1005 दिन बाद भी विभाग की बेब साईट http://epanijiyan.nic.in /e-search-page.aspx पर ऑनलाईन देखेन पर प्लाट मेरे नाम न दिखा कर नीलकंठ महादेव डेवलेपर के नाम से [illegible] दिखा रहा है (सं[illegible] "View e-Inspection/Search [illegible] multiple parameters [illegible] parameters" संलग्न 2 "Track CRN/Document status T[illegible]k status")	इस बिन्दु के द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है। अतः वांछित सूचना नियमानुसार देय नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

			2	उपरोक्तानुसार जिला एवं तहसील श्रीगंगानगर के अन्तर्गत ग्राम 3 एचएच में निवासिय कॉलोनी नीलकंठ महादेव डेवलेपर्स में मेरे रजिस्ट्रीशुदा प्लाट (प्लाट नम्बर 685) जिसकी रजिस्ट्री 04.09.2018 (Registration No.: 201803406101506 रसीद नं. 201802406001632 दिनांक 04.09.2018 201801406002188 Sale Deed, E-grass Challan 0025022224) को सब तहसील चूनावढ कार्यालय से करवाई गई की प्रमाणित प्रतिलिपि पूर्ण प्रमाणित श्रृंखला में प्रमाणित अन्य सभी तरह के सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ उपलब्ध करवाएं।	बिन्दु संख्या 2 के द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 12.10.18 के अनुसार पंजीयन अधिनियम 1908 के तहत पंजीकृत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम लागू नहीं होते है। अतः पंजीयन नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र मय शुल्क जमा करवाकर वांछित सूचना/ प्रतिलिपि कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।		
			3	चूनावढ़ सब तहसील में दिनांक 04 सितम्बर 2018 को करवाई गई उपरोक्तानुसार रजिस्ट्री को विभाग की कौनसी बेवसाईट पर ऑनलाईन देखा जा सकता एवं रजिस्ट्री की प्रतिलिपि डाउनलोड की जा सकती है कृपया प्रमाणित वेब लिंक उपलब्ध करवाएं।	बिन्दु संख्या 03 के द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 12.10.18 के अनुसार पंजीयन अधिनियम 1908 के तहत पंजीकृत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु सूचना का अधिकारा अधिनियम 2005 के नियम लागू नहीं होते है। अतः पंजीयन निमयों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र मय शुल्क जमा करवाकर वांछित		

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

		सूचना / प्रतिलिपि कार्यालय से प्रापत की जा सकती है। वर्तमान में रजिस्ट्री की ऑनलाईन प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु सुविधा विभाग की तरफ से अभी नहीं है।
4	ग्रामीण आवासीय कॉलोनी के प्लाट की रजिस्ट्री करते समय विभाग द्वारा के दायित्व कर्तव्यों की क्रमानुसार नियमावली हिन्दी में उपलब्ध करवाएं।	राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेश अथवा अधिसूचना के अनुसार कार्यालय में प्राप्त होने वाले दस्तावेजों को नियमानुसार निस्तारण किया जाता है। आदेश / अधिसूचना विभाग की ई–पंजीयन बेवसाईट पर उपलब्ध है।

उक्त के संबध में निवेदन है कि आवेदक श्री अनिल लिम्बा द्वारा बिन्दु संख्या 01 से 04 तक की सूचना ग्राम 3 एचएच में आवासीय कालोनी नीलकंठ महादेव डेवलेपर में रजिस्ट्रीशुदा प्लाट नम्बर 685 के संबंध में चाही गई है। इस संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक पत्र20(84)प्रसु / सूअप्र / 2009पार्ट दिनांक 12.10.2018 के अनुसार पंजीयन अधिनियम 1908 के तहत पंजीकृत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए शुल्क निर्धारित है एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए शुल्क निर्धारित है लेकिन सूचना का [illegible] अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित शुल्क काफी कम है शुल्क [illegible] अंतर का फायदा उठाने के लिए लोग पंजीकृत दस्तावेजों की [illegible] प्रतिलिपियां प्राप्त करने के लिए आवेदन सूचना का [illegible] अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते है, जिससे राजस्व की ह[illegible] होती है। विधि विभाग की राय के अनुसार ''यदि किसी विशेष अधिनियम में दस्तावों की प्रतिलिपि

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु कोई विशेष शुल्क निर्धारित है, तो ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उकने निरिक्षण हेतु फीस लेने के संबंध में अधिनियम 2005 के प्रावधान लागू न होकर उक्त विशेष अधिनियम के प्रावधान लागू होगें।'' (जिसकी छांया प्रति संलग्न है।)

इस प्रकार आवेदन श्री अनिल लिम्बा द्वारा दिनांक 04 सितम्बर 2018 को ग्राम 3 एचएच में आवासीय कॉलोनी नीलकंठ महादेव में प्लाट संख्या 685 का दस्तावेज इस कार्यालय में पंजीबद्ध करवाया गया था। उक्त प्लाट के पंजीबद्ध दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने अथवा पंजीबद्ध दस्तावेज के संबंध में सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 05.06.2021 श्रीमान्जी का आवेदन किया गया था, राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक पत्र20(84)प्रसु/सूअप्र/2009पार्ट दिनांक 12.10.2018 के अनुसार पंजीयन अधिनियम 1908 के तहत पंजीकृत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम लागू नहीं होते है। अतः पंजीयन नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र मय शुल्क जमा करवाकर वांछित सूचना/प्रतिलिपि कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। अतः अपीलार्थी द्वारा की गई अपील खारिज किये जाने योग्य है।

संलग्न : राज्य सरकार का परिपत्र दिनांक 18.12.21 की छाया प्रतिलिपि।

उप पंजीयक, चूनावढ
तहसील व जिला श्रीगंगानगर

उक्त परिपत्र का अवलोकन किया तो पाया कि परिपत्र दिनांक 18.12.2021 का न होकर दिनांक 1[illegible] को है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का जवाब [illegible] द्वारा प्रार्थी को 208 दिनांक 04.08.2021 **से दिया जा चुका है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:51 IST
Reason: SelfAttested

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं **कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए उप पंजीयक, चूनावढ़ ने अपीलार्थी को जो उत्तर दिया है, वह सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **उप पंजीयक, चूनावढ को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:51 IST
Reason: SelfAttested